

128156 - उस के पास एक कृषि भूमि रेहन रख दिया ताकि वह उस से लाभ उठाये यहाँ तक कि वह उस के कर्ज की अदायगी कर दे

प्रश्न

मेरे पास एक ज़मीन है जिसे मैं ने एक हजार पाउंड के बदले रेहन रख दिया है, कि वह उस से लाभान्वित हो और उस की संपूर्ण उपज को लेता रहे यहाँ तक कि मैं उस के एक हजार पौंड वापस कर दूँ, फिर उस के बाद वह मेरी ज़मीन को मुझे वापस कर देगा, तो क्या रेहन की यह सूरत जाइज़ है ? और रेहन का शरई (धार्मिक) रूप क्या है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

"रेहन (गिरवी रखना) जाइज़ है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का फरमान है : "अगर तुम यात्रा पर हो और (कर्ज के मामले को) लिखने वाला न पाओ तो रेहन रख लिया करो।" (सूरतुल बक्रा : 283)

अगर आप ने ज़ैद या अम्र से एक हजार पौंड, या उस से कम, या अधिक उधार लिया है, और उस के पास कोई ज़मीन, या गाड़ी, या हथियार, या इस के अतिरिक्त कोई अन्य चीज़ गिरवी रखी है तो इस में कोई बात नहीं है, किन्तु उस के लिए अपने हक़ से अधिक लाभ उठाने का अधिकार नहीं है, बल्कि उस की उपज आप के लिए होगी, लेकिन वह किराया के द्वारा उस (ज़मीन) से लाभ उठा सकता है, और किराया की राशि को कर्ज से काट दिया जायेगा, या वह उस राशि को आप के हवाले कर देगा, चुनाँचि ज़मीन उस के पास गिरवी रहेगी, और आप एक ज्ञात मज़दूरी पर उसे किराये पर दे देंगे जो कर्ज से काट दिया जायेगा।

जहाँ तक इस सूरते-हाल का संबंध है कि वह आप को मोहलत देने और आप के पास माल को उस का भुगतान करने के समय तक छोड़े रहने के बदले में उस से लाभ उठाये, तो यह ऐसा कर्ज है जो लाभ को जन्म देता है, अतः यह जाइज़ नहीं है, और यह ऐसे ही है जैसे कि आप ने उस से एक हजार कर्ज लिया इस शर्त के साथ कि आप उसे ग्यारह सौ, या बारह सौ वापस करेंगे, तो यह जाइज़ नहीं है और यह सूद में से है। अगर वह बिना किराये के ज़मीन को खेती-बाड़ी वगैरा में प्रयोग करता है तो जाइज़ नहीं है। क्योंकि इस का अर्थ यह हुआ कि उस ने आप को जो कर्ज दिया है उस के बदले में वह इस ज़मीन से लाभ उठा रहा है, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कि अगर आप उसे सौ या दो सौ, या उस से अधिक या उस से कम राशि अतिरिक्त दे दें, अतः यह सब के सब सूद है।"



समाहतुशैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमुल्लाह